राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प4(1) वित्त/आब/2019 दिनांक 01.02.2019

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

विषयः– आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2019–20 के निर्धारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2019–20 निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

(1) **अवधि :–**

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019–20 (दिनांक 1–4–2019 से दिनांक 31–3–2020) के लिये होगी।

(2) **बन्दोबस्त की प्रणाली :–**

वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा/बीयर एवं भांग का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

2.1 देशी मदिरा के वर्ष 2019–20 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग समूहों का निविदायें आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा।

(3) **देशी मदिरा :–**

3.1 बन्दोबस्त की प्रकिया :–

वर्ष 2019–20 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी

आयुक्त राजस्थान द्वारा जारी किये जायेगें, जिन्हें विभागीय वेबसाईट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.1 जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

3.1.2 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12170/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 एवं सिविल अपील संख्या 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

3.2 समूहों का गठन :–

वर्ष 2018–19 हेतु 6640 देशी मदिरा दुकानों के पंचायतवार/नगरपालिका वार्डवार 5619 समूह बनाये गये थे। वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा समूहों की संख्या घटाकर **5543** किया जाता है, दुकानों की संख्या को 6665 किया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164–12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में निर्णय दिनांक 15–12–2016 के द्वारा भारत के समस्त राज्यों में राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गो से रिटेल ऑफ खुदरा दुकानों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर निर्धारित किये जाने के निर्णय से ऐसी दुकानों के स्थल परिवर्तन से होने वाले प्रभाव, शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने एवं जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर रिक्त पंचायतों में नये समूहों का गठन को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के वितरण हेतु मदिरा समूहों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण एवं तद्नुसार वार्षिक राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

उपर्युक्त अनुसार वर्ष 2018–19 में प्रचलित देशी मदिरा समूहों का पुर्नगठन किये जाने के उपरान्त वर्ष 2019–20 के लिये देशी मदिरा समूहों/दुकानों की वार्षिक एकाधिकार राशि का निर्धारण किया जायेगा।

3.3 आवेदन शुल्क :–

3.3.1 देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये)
वर्ष 2019–20 के लिए 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	23000/–
वर्ष 2019–20 के लिए 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	28000/–

आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक–पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

3.3.2 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.4 वार्षिक राशि (एकाकी विशेषाधिकार राशि) का निर्धारण :–

3.4.1 **वर्ष 2019–20 के लिये वार्षिक राशि का निर्धारण:–** वर्ष 2018–19 में प्रचलित देशी मदिरा समूहों के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार विवेकीकरण किया जाकर देशी मदिरा समूहों के लिये समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी। विवेकीकरण के उपरान्त समूह के लिये प्रस्तावित वार्षिक राशि में **15 प्रतिशत** की वृद्धि की जाकर समूह की वर्ष 2019–20 के लिये वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी।

3.4.2 वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी शुल्क का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक राशि के पेटे दिया जायेगा तथा बिन्दू संख्या 4.9.4 में वर्णित भा.नि.वि.मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भा.नि.वि.मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत

भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्युटी के पेटे दिया जावेगा। यह भराव देशी मदिरा के एकाकी विशेषाधिकार राशि के पेटे वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.05.2019 से लागू होगा ताकि डिस्टलरी एवं बोटलिंग प्लान्ट इसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर सके। इस बाबत आबकारी आयुक्त राजस्थान विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

3.5.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.2 इस 18 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि प्रतिमाह निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

3.6 धरोहर राशि :–

3.6.1 वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में आवेदन की शर्तो के अनुरूप राजकोष में जमा करानी होगी।

3.7 देशी मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात :–

3.7.1 वर्ष 2019–20 में 40, 50 एवं 60 यू.पी. तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.7.1.1 राज्य के समस्त उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से कुल आपूर्ति की न्यूनतम 40 प्रतिशत मदिरा 50 अथवा 60 यू.पी. तेजी की होना आवश्यक होगा। आबकारी आयुक्त इस हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

3.7.1.2 40, 50 एवं 60 यू.पी. की मदिरा की आपूर्ति पेट/ग्लास में की जा सकेगी ।

3.7.1.3 निजी डिस्टलरीज, बोटलिंग प्लांट एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी मदिरा की कुल

आपूर्ति का न्यूनतम 15 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी।

3.7.1.4 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में देशी मदिरा की मांग के अनुरूप आपूर्ति निजी उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा नही किये जाने की स्थिति में इसकी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा की जायेगी। जिसके लिए निजी आपूर्तिकर्त्ता से रूपये 50/– प्रति कार्टन की दर से राशि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा वसूल की जायेगी। इसके लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.7.2 वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 43 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा न्यूनतम 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.7.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से देशी मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7.4 **देशी मदिरा का आयात** –

वर्ष 2018–19 की व्यवस्था के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.7.5 **देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव** :–

3.7.5.1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। शोधित प्रासव के आयात में ग्रेन आधारित एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रासव का अनुपात यथावत क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

3.7.6 **विभिन्न प्रकार की देशी मदिरा के निर्गम का प्रतिशत** :

अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव

से किया जाना आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50/60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगा कि सम्बन्धित त्रैमास की कुल मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

3.7.6.1 एक त्रैमास में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम 50/60 यूपी मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क तथा 50/60 यूपी देशी मदिरा के वास्तविक उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.7.6.2 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किये जाने की शर्त में राज्य के लिये निर्धारित अनुपात को बनाये रखते हुये, जिला विशेष के लिये देशी मदिरा की तेजी के प्रकार के उठाव में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

3.7.7 वर्ष 2019–20 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

3.7.8 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :

3.8.1 वर्ष 2018–19 हेतु 40 यू.पी., 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक विक्रय मूल्य क्रमशः रुपये 415/–, 395/– तथा 320/– निर्धारित है। 40 यूपी ग्लास के कार्टन का निर्गम मूल्य रूपये 445/– निर्धारित है।

3.8.2 वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा की उक्त तीनो श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र. सं	देशी मदिरा (RS) की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)	
		ग्लास	पेट
1.	40 यू.पी.	445	415
2.	50 यू.पी.	–	395
3.	60 यू.पी.	–	320

थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है। देशी मदिरा के निर्गम मूल्य में एथेनॉल/स्प्रिट की बढ़ती मांग व मूल्य की दशा में आवश्यक होने पर संशोधन राज्य सरकार द्वारा किये जा सकेंगे।

3.8.3 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है। देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा (ENA) के पव्वा, अद्धा एवं बोतल का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है, जिस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.8.4 वर्ष 2019–20 के लिये वर्ष 2018–19 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से "स्ट्रोंग मदिरा" अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.9 कम्पोजिट दुकान :–

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

3.9.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी:–

(i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/नगर परिषद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवो में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकाने** 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **"चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी।

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों **"ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी ।

3.10 वर्ष 2019–20 के लिये कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना बिन्दु संख्या 3.11 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

3.10.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 29 मार्च 2019 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

3.10.2 नवगठित समूहों की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

3.11 वर्ष 2019–20 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

3.11.1 **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण**:– वर्ष 2019–20 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

3.11.2 वर्ष 2019–20 में ऐसी दुकानें जो बिन्दू संख्या 3.9.1.1 (i) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस निर्धारण के लिये इस परिधि में स्थित गांवो को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2018–19 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव (सीमा में कही स्थित हो) "ब" श्रेणी के होगें।

3.11.3 वर्ष 2019–20 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2018–19 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 8 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2018–19 की आर.एस. बी.सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 8 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 75,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.11.4 परिधीय क्षेत्र की अ श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

3.11.5 वर्ष 2019–20 के लिये **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस** को 29 मार्च 2019 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3.12 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्पः–

3.12.1 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु

"ब" श्रेणी गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

3.12.2 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.12.2.1 वर्ष 2019–20 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2019–20 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

3.12.2.2 बिन्दु संख्या 3.12.2.1 के लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.13 वर्ष 2019–20 के लिये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः–

3.13.1 वर्ष 2019–20 के लिये "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः–

(क) वर्ष 2019–20 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 8 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.13.1 (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

3.14 ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण:–

(i) वर्ष 2019–20 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2018–19 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के 8 **प्रतिशत** अथवा वर्ष 2018–19 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(ii) वर्ष 2019–20 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल. से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित वर्ष के लिये कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर सम्बन्धित वर्ष के लिये प्रति कम्पोजिट दुकान के लिये कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

3.15 वर्ष 2019–20 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों अथवा ग्रामीण क्षेत्र के देशी मदिरा कम्पोजिट समूह की प्रत्येक दुकान के लिये सम्बन्धित वर्ष के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान अथवा समूह के लिये सम्बन्धित वर्ष में भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे सम्बन्धित वर्ष में समायोजन योग्य होगी एवं सम्बन्धित वर्ष के दौरान इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.16 वर्ष 2016–17 के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अनुसार दी जायेगी।

3.17 एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

(i) किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम 9 माह में समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि (Including all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर वर्ष 2019–20 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

3.18 (i) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 30/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.19 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.20 **जिन समूहों में वर्ष 2019–20 हेतु कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये एक करोड़ से अधिक है उनको कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों जमा करानी होगी।**

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

4.1 बन्दोबस्त प्रक्रिया :–

वर्ष 2019–20 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./ बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। इस वर्ष भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें, जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराये जायेगें।

4.1.1 एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

4.2 दुकानों की संख्या :–

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की पूर्व निर्धारित संख्या 1000 ही रखी जायेगी।

4.3 आवेदन शुल्क :–

वर्ष 2019–20 हेतु भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकानों के लिये आवेदन शुल्क प्रति दुकान रू. 28000/– निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक–पृथक देय होगा, जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) होगा।

4.4 लाईसेन्स फीस :–

4.4.1 वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.3 एवं 4 का योग
1	2	3	4	5
1.	जयपुर व जोधपुर	22.00	8.00	30.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	18.50	6.50	25.00
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	13.50	5.00	18.50
4.	अन्य जिला मुख्यालय एवं नगरपालिका/ नगर परिषद कोटपुतली, बहरोड़, व्यावर, किशनगढ़, कुचामनसिटी, मकराना, देवली, रामगंजमण्डी, झालारापाटन, भवानीमण्डी, आबूरोड़, बालोतरा, भीनमाल, गंगापुरसिटी, हिन्डोनसिटी, निम्बाहेड़ा, फलौदी, सागवाड़ा, सूरतगढ़ एवं नीम का थाना	12.80	4.20	17.00
5.	अन्य नगरपालिकाएँ ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	11.50	3.50	15.00

4.5 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :–

वर्ष 2019–20 के लिये क्रमशः बिन्दु संख्या 4.4.1 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त राशि के समायोजन के

पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

4.6 भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान, परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान एवं रिटेल ऑन के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 30/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.7 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

4.8 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 35 यू.पी. तेजी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विस्की, ब्राण्डी, जिन, रम, वोदका आदि) का उत्पादन टेट्रा पैक/ग्लास में किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के स्वयं द्वारा अथवा अनुबन्ध आधार पर निजी उत्पादनकर्त्ताओं से इस श्रेणी की मदिरा का उत्पादन कराया जा सकेगा।

4.9 देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर पर आबकारी शुल्क/फीस में संशोधनः–

4.9.1 वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर रू. 130/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित है। वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर को बढ़ाया जाकर रू. 150/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित किया जाता है।

4.9.2 वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा के पव्वों का न्यूनतम विक्रय मूल्य 40 यूपी ग्लास रू. 32/–, 40 यूपी पेट रू. 31/– एवं 50 यूपी पेट रू 27/– निर्धारित है को यथावत क्रमश 40 यूपी ग्लास रू. 32/–, 40 यूपी पेट रू. 31/– एवं 50 यूपी पेट रू 27/– निर्धारित किया जाता है।

4.9.3 वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा पर परमिट फीस की दर रू. 50/– प्रति परमिट निर्धारित है। वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा के परमिट फीस की दर को बढ़ाया जाकर रू. 1/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.9.4 वर्ष 2019–20 के लिये भा.नि.वि.मदिरा तथा BIO (Bottled in Origin) की आबकारी शुल्क/फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	संशोधित एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की संशोधित दर
		Upto रू 400	रू. 120+(0.14 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर परन्तु न्यूनतम 155 रुपये/– प्रति प्रुफ लीटर
Upto रू 550 तक	रू. 120+(0.17 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर य. परन्तु न्यूनतम 195/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 400 से अधिक तथा 550 तक	रू. 120+(0.14 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर परन्तु न्यूनतम 195/– प्रति प्रुफ लीटर
रू. 550 से अधिक तथा 700 तक	रू. 109+(0.24 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 550 से अधिक तथा 700 तक	रू. 109+(0.24 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 700 से अधिक एवं 900 तक	रू. 225+(0.08 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 700 से अधिक एवं 900 तक	रू. 225+(0.08 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 900 से अधिक एव 1100 तक	रू. 237+(0.07 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 900 से अधिक एव 1100 तक	रू. 237+(0.07 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1100 से अधिक एव 1300 तक	रू. 264+(0.05 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1100 से अधिक एव 1300 तक	रू. 264+(0.05 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1300 से अधिक एव 1500 तक	रू. 293+(0.03 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1300 से अधिक एव 1500 तक	रू. 293+(0.03 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1500 से अधिक एव 3000 तक	रू. 400 /– प्रति प्रुफ	रू. 1500 से अधिक एव 3000 तक	रू. 400 /– प्रति प्रुफ
रू. 3000 से अधिक एव 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 3000 से अधिक एव 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर
रू. 8000 से अधिक एव 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल.पी.एल. जो भी अधिक हो।	रू. 8000 से अधिक एव 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल.पी.एल. जो भी अधिक हो।
रू. 10000 से अधिक एव 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू. 10000 से अधिक एव 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू. 25000 से अधिक एव 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू. 25000 से अधिक एव 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू. 50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू. 50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम

- आबकारी शुल्क/फीस की अन्य दरें यथावत रहेंगी।
- भा. नि. वि. म. का 90 ml एवं 180 ml पैकेजिंग उत्पादन एवं विक्रय टेट्रा पैक में भी हो सकेगा।

4.9.5. 25 यूपी की भा.नि.वि. मदिरा के प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भा.नि. वि.मदिरा कम्पोजिट एवं देशी मदिरा की दुकानों पर ही बेचान की जायेगी एवं यह नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा दुकानों पर बेचान स्वीकृत नहीं होगा। भा.नि.वि.मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भा.नि.वि.मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्युटी के पेटे दिया जावेगा। यह भराव देशी मदिरा के एकाकी विशेषाधिकार राशि के पेटे वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.05.2019 से लागू होगा ताकि डिस्टलरी एवं बोटलिंग प्लान्ट इसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर सके। इस बाबत आबकारी आयुक्त राजस्थान विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

4.9.6 वर्तमान में राजस्थान राज्य में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा घोषित बेसिक मूल्य (Quoted Basic Price) पर कस्टम ड्यूटी एवं केन्द्रीय बिक्री कर (CST) जोड कर निकाली गई राशि पर होल सेल ट्रेड लाईसेन्स फीस आरोपित की जाती है। इससे आयातित मदिरा की कीमत पड़ौसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक राशि में निर्धारित होती है, जिससे अन्य राज्यों से आयातित विदेशी मदिरा अवैध रूप से राज्य में लाई जाने की सम्भावनायें रहती है।

अतः इसे अन्य राज्यों के समतुल्य किये जाने हेतु बेसिक मूल्य (कस्टम ड्यूटी एवं केन्द्रीय बिक्री कर की राशि को छोड़कर) पर होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.9.7 वर्तमान में राज्य के बाहर से बीयर आयात करने पर, आयात परमिट फीस (Import Permit Fees) की दर रू. 7/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। राज्य के बाहर से बीयर आयात करने पर, आयात परमिट फीस (Import Permit Fees) की दर को घटाकर रू. 6/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.9.8 वर्ष 2019–20 में बीयर एवं भा.नि.वि.मदिरा पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

4.9.9 वर्तमान में देशी मदिरा एवं भा.नि.वि.मदिरा ब्राण्ड के फ्रेन्चाईज अनुबन्ध के आधार पर देशी मदिरा एवं भा.नि.वि.मदिरा बोतल भराई करने रू. 5.00/– प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस देय है। इस फीस को बढ़ाकर रू. 7.00/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.9.10 **ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन शुल्क :**

वर्ष 2019–20 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन आगामी 3 वर्षो तक लागू करने हेतु एक बारगी ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रति ब्राण्ड रू. 1.75 लाख एवं लेवल अनुमोदन शुल्क प्रति लेवल रू. 1.10 लाख निर्धारित किया जाता है, लेकिन एक वर्षीय प्रावधान भी पूर्ववत लागू रहेगा। आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) के ब्राण्ड के लेबल अनुमोदन शुल्क, प्रति लेबल शुल्क रू. 10,000/– प्रति वर्ष किया जाता है तथा आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन शुल्क नही लिया जायेगा।

4.9.11 **निर्माण इकाईयों की लाईसेंन्स फीस का निर्धारण :**

निर्माण इकाईयों की वर्तमान में प्रचलित वार्षिक लाईसेन्स फीस को उत्पादन क्षमता के आधार पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2018–19 (लाख रुपये में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2019–20 (लाख रुपये में)
डिस्टलरी	30 तक	25.00	37.50
(प्रतिदिन आंकडे)	30 से अधिक एवं 50 तक	30.00	45.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	35.00	52.50
	75 से अधिक	40.00	60.00
ब्रेवरी	30 तक	20.00	30.00
(प्रतिवर्ष आंकडे)	30 से अधिक एवं 50 तक	25.00	37.50
	50 से अधिक एवं 75 तक	35.00	52.50
	75 से अधिक	40.00	60.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	2.00	3.00
	भा.नि.वि. मदिरा भराई	6.50	9.75
	वाईनरी भराई	0.25	0.37
हेरीटेज प्लांट		5.00	7.50
वाईनरी		0.50	0.75

वर्तमान में कार्यरत एवं अनुज्ञाप्तिधीन डिस्टलरी, ब्रेवरी, वाईनरी, हेरीटेज शराब निर्माण ईकाइ एवं बोटलिंग प्लान्ट के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण तथा नई

स्थापित होने वाली ईकाइयों के लिये उपरोक्तानुसार उत्पादन क्षमता के आधार पर लाईसेन्स फीस देय होगी।

4.10 आयातित विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) ब्राण्ड के होलसेल बोण्ड :–

BIO ब्राण्ड के होलसेल वेण्ड राज्य के जयपुर जिले की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेंगे। उक्त होलसेल वेण्ड की लाईसेन्स फीस प्रति वर्ष 10 ब्राण्ड के लिये 6 लाख रूपये निर्धारित की गई है एवं 10 ब्राण्ड से ऊपर प्रत्येक ब्राण्ड के लिये 10 हजार रूपये प्रति ब्राण्ड वार्षिक लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है। इस बाबत् आबकारी आयुक्त राजस्थान विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

(5) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

5.1. होटल बार :

5.1.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

S. No.	*Category*	*Initial fees for year 2019-20 or part thereof (Rs. In lac)*		
		Basic Licence Fees	*Minimum Special Vend Fees*	*Total of (Col No. 3 + 4)*
1	2	3	4	5
1	**Luxury Hotel/Train :**			
	i. Five Star Hotel	16.00	1.00	17.00
	ii. Four Star Hotel	11.00	1.00	12.00
	iii. Three Star Hotel	8.50	1.00	9.50
	iv. Luxury Train	8.50	1.00	9.50
2	**Other Hotel :-**			
	Situated in and within			
	A. 7.5 Kilometer of municipal limit of Jaipur/Jodhpur/Udaipur having rooms :-			
	a) up to 50 rooms	8.00	1.00	9.00
	b) 51 to 100 rooms	10.00	1.00	11.00
	c) more than 100 rooms	15.00	1.00	16.00
	B. 7.5 kilometer of municipal limit of other Divisional Headquarters, Mount Abu and Jaisalmer having rooms :-			
	a) up to 50 rooms	7.00	1.00	8.00
	b) 51 to 100 rooms	9.00	1.00	10.00
	c) more than 100 rooms	13.00	1.00	14.00
	C. 5 kilometer of municipal limit of other District Headquarters, having rooms :-			
	a) up to 50 rooms	6.50	1.00	7.50
	b) 51 to 100 rooms	7.50	1.00	8.50
	c) more than 100 rooms	9.50	1.00	10.50

	D. (i) **3 kilometer of municipal limit of other municipalities and Bhiwadi U.I.T. Area (District Alwar) having rooms :-**			
	a) up to 25 rooms	4.50	1.00	5.50
	b) more than 25 rooms	5.50	1.00	6.50
	(ii) **Situated in other places not covered in clause (i) having rooms :-**			
	a) up to 25 rooms	3.00	0.50	3.50
	b) more than 25 rooms	3.00	0.50	3.50

5.1.2 पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2015 के बिन्दू संख्या 2 के उपबिन्दु 1 से 9 तक परिभाषित पर्यटन इकाईयों को होटल/रेस्टोबार से संबंधित प्रावधानों के तहत लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

5.2. रेस्टोरेन्ट बार :

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2018–19	निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीय सीमा के 5 किलोमीटर सीमा में स्थित हो				
	(अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय	9.00	9.00	1.00	10.00
	(ब) अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	7.00	6.50	1.00	7.50
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	6.00	5.00	1.00	6.00
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	5.50	4.50	1.00	5.50
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (द) स्थानों में शामिल नही।	4.50	4.00	0.50	4.50

5.3 रिटेल ऑन (Retail-on) अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम हेतु निर्धारित "स्पेशल वेण्ड फीस" देय होगी। यह "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की सीमा तक समायोजन योग्य होगी। इसके बाद मदिरा/बीयर निर्गम पर "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी को पृथक से नकद जमा करानी होगी।

(6) भांग :–

6.1 **बन्दोबस्त प्रकिया :**

वर्ष 2019–20 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2 **समूहों की संख्या :**

वर्ष 2018–19 में भांग दुकानों के 30 समूह हैं । समूह का बन्दोबस्त किये जाने के पूर्व समूह की आरक्षित राशि को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक समूह के अर्न्तगत आने वाली दुकानों (राज्य में कुल दुकानों की संख्या को यथावत रखते हुये) का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.3 **आरक्षित राशि का निर्धारण :**

वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2019–20 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी ।

6.4 भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जावेगा अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(8) आबकारी बन्दोबस्त के अर्न्तगत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नही किये जाने का प्रावधान नियमों में सम्मिलित किया जाये।

(9) वर्तमान में रिटेल लाईसेन्स की शर्तो के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्माना राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20
प्रथम बार उल्लंघन करने पर	10 हजार	20 हजार
द्वितीय बार उल्लंघन करने पर	25 हजार	40 हजार
तृतीय बार उल्लंघन करने पर	50 हजार	75 हजार
चतुर्थ बार उल्लंघन करने पर	अनुज्ञापत्र निरस्त	अनुज्ञापत्र निरस्त

(10) **मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :**

(i) **दुकानें खोलने का समय** : अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10:00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8:00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन** : मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में **"मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं"** की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयास** : 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(v) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक** : दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vi) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार** : नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1% भाग (न्यूनतम 10.00 करोड़ रूपये) आरक्षित कर इससे शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(vii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना** : सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(viii) समीपवर्ती राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी :–

(i) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(ii) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

(iii) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iv) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(v) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(11) **शुष्क दिवस :**

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2019–20 में यथावत रखा जायेगा।

(12) **आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव :**

(i) आर.एस.बी.सी.एल. एवं गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों पर Modern Logistics Management System और RFIDC (Radio Frequency Based Identification) को लागू किया जायेगा ताकि शराब के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

(ii) राजस्थान आबकारी शाखा एवं निरोधक दल के फिल्ड में कार्यरत अधिकारियों वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जायेगा ताकि क्षेत्र में प्रभावी गश्त की कार्यवाही का जा सकेगी एवं इन वाहनों को Centralized Integrated online real time system से जोड़ा जायेगा।

(iii) आबकारी निरोधक दल में प्रहराधिकारी एवं सिपाहियों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रकिया हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं इसी अनुरूप रिक्त पदों पर भर्ती की प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

(iv) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरोधात्मक कार्यवाही के लिये प्रहराधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को समुचित संख्या में राजकीय वाहन उपलब्ध करवाये जायेगें ।

(v) वर्ष 2019–20 एवं इसके पूर्व के वर्षो में आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन में जब्त वाहनों की नीलामी अब पूरे राज्य में ई–ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। इससे लगभग रू. 25 करोड़ की राशि आबकारी विभाग को प्राप्त होगी। इस राशि की 50 प्रतिशत राशि को विभाग के निरोधात्मक कार्यवाहियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नये वाहन एवं अन्य संसाधन यथा मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, फर्निचर, टेन्ट, ड्रेगन लाईट, हैलमेट व ढाल इत्यादि क्रय करने के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

(vi) आबकारी कार्यालयों के पुराने भवनों की मरम्मत एवं किराये के भवनों में चल रहे आबकारी थानों एवं आबकारी निरीक्षक कार्यालयों के नये भवन निर्माण हेतु राशि रू. 20 करोड़ उपलब्ध कराई जायेगी। इन भवनों को एक ही कैम्पस में निर्माण कराया जायेगा। सभी जिलों में निर्माण हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत जिलास्तरीय एवं जिला स्तर पर संचालित आबकारी विभाग के सभी कार्यालय एक ही कैम्पस में निर्मित किये जायेंगे।

(vii) आबकारी प्रयोगशालाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में बढ़ते हुये काम को देखते हुये भरतपुर संभाग मुख्यालय एवं जिला आबकारी अधिकारी उत्पादन इकाई के मुख्यालय बहरोड पर एक–एक आबकारी प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

(viii) कई जिलों में आबकारी विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर भवन एवं भूमि उपलब्ध है वर्तमान में इन भूमि एवं भवनों का विभाग के उपयोग के लिये आवश्यकता नही है अतः इन जर्जर भवनों एवं भूमि को विक्रय कर अतिरिक्त राशि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(ix) विभाग के आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी स्तर तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर आबकारी वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को ऑनलाइन करने, सूचना संकलन एवं परिवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) आबकारी विभाग में मुख्यालय स्तर, जोन कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, सहायक आबकारी निरोधक कार्यालय, आबकारी निरीक्षक कार्यालय एवं प्रहराधिकारी कार्यालयों हेतु पूर्व वर्षो की भॉति मैन विथ मशीन की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से ली जायेगी।

(xi) आबकारी विभाग में शराब के अवैध परिवहन के रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये होमगार्ड के पूर्व वर्षो की भॉति स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से ली जायेगी।

(xii) रिटेल ऑफ, रिटेल ऑन, देशी मदिरा एवं कम्पोजिट दुकानों हेतु बनाये जाने वाले नौकरनामों को ऑन लाइन किया जायेगा।

(13) आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में जो संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किये जाने अपेक्षित हो, उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने का श्रम करें।

आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित कराने का श्रम करें।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग